बिहार सरकार

कार्यान्वयन अनुदेश .2013–14

योजना क्रमांक :– 01

योजनाः– मुख्यमंत्री निजी पौधशाला–पॉप्लर ई0 टी0 पी0 नर्सरी/पौधशाला की स्थापना।

उद्देश्य

- पॉप्लर वृक्षारोपण के लिए कम समय में पौधा तैयार करना
- किसानों के खेतों में पॉप्लर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना
- ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
- राज्य के किसानों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण
- बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15% वृक्षावरण करना

रोड मैप के अनुसार भौतिक लक्ष्य

योजना के तहत आगामी पाँच वर्षों में कुल 360.9 लाख पॉप्लर पौधों का रोपण किया जायेगा

क्र0 सं0	वर्ष / लक्ष्य	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	कुल
1	कटिंग हेतु ई0 टी0 पी0 की आवश्यकता	9.3	28.48	37.53	42.10	0.56	117.97
2	नर्सरी हेतु कटिंग की संख्या (लगभग)	55.8	171.00	225.00	253.00	3.38	708.18
3	पौधशाला क्षेत्रफल एकड़	558	1710	2250	2530	33.8	7081.8
4	पॉप्लर ई0 टी0 पी0 उत्पादन	33.5	103	135.1	152	2.03	425.63

नोट :– एक एकड़ में 10,000 कलम (कटिंग) लगेंगे। एक ई0 टी0 पी0 से औसतन 6 कलम (कटिंग) तैयार होंगे।

पौधशाला हेतु कृषकों का चयन

- समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित करना
- वरीयता जो 0.5 एकड़ से अधिक भूमि पर पौघशाला स्थापित करना चाहते हैं।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को नियमानुसार प्राथमिकता
- वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा लाभार्थी की सूची मिशन निदेशक, हरियाली मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा
- कृषकों का चयन, चयन समिति द्वारा

आवेदन के साथ संलग्न कागजात

•भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/ अद्यतन लगान रसीद/राजस्व रसीद/शपथ पत्र–प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र।

•बैंक पासबुक की अद्यतन छायाप्रति

आवेदन समर्पित कहाँ करें

- आवेदन संबंधित जिले के वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किये जायेंगे

चयन

- वन प्रमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति कृषकों का चयन करेगी

इसके सदस्य संबंधित जिला के

- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रतिनिधि

•जिला कृषि पदाधिकारी,

•जिला उद्यान पदाधिकारी तथा

•भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद– देहरादुन अन्तर्गत पटना केन्द्र के प्रभारी उपवन संरक्षक होगें।

चयन की प्रक्रिया

चयन समिति उल्लेखित कागजात की जाँच करेगी और लाभुक का चयन सूची बनायेंगे

चयन का आधार

•आवंटित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होता है तो पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर चयन

•चयनित व्यक्ति को पौधाशाला स्थापना की अनुमति संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन में विहित अनुबंध पर हस्ताक्षर के उपरांत दी जायेगी

•पॉप्लर पौधशाला के लिए समिति द्वारा चयन के उपरांत वन विभाग द्वारा निर्धारित पॉप्लर पौधाशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा

प्रशिक्षण

•राज्य स्तर पर हरियाली मिशन द्वारा एक दिवसीय ओरियेन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

जिसमें मुख्य वन संरक्षक पदाधिकारी, वन संरक्षक पदाधिकारी तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी शामिल होंगे

पौधशाला से संबंधित तकनीकी एवं प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी

•वन प्रमंडल स्तर पर मास्टर ट्रेनर को हरियाली मिशन मुख्यालय में पॉप्लर पौधशाला से संबंधित तकनीकी एवं प्रशासनिक जानकारी दी जायेगी

•जिला स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण पॉप्लर पौधशाला रोपण, रख–रखाव, उपचार, पौधशाला के संपोषण संबंधित जानकारी दी जायेगी

•वनपाल एवं वनरक्षी को विस्तृत रूप से प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसमें पॉप्लर पौधशाला रोपण, रख–रखाव, तैयारी एवं उपचार करना सम्मिलित होगा

•अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा

•पॉप्लर कटिंग बनाने से संबंधित प्रशिक्षण मजदूरों को भी दिया जा सकेगा

स्रोत / उत्पादन

•हरियाली मिशन मुख्यालय से पॉप्लर ई0 टी0 पी0 वन प्रमंडल पदाधिकारी को मुहैया कराया जायेगा तथा आवश्कतानुसार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी लाभार्थी किसानों को मुहैया करायेंगे

- पॉप्लर की पौधशाला पॉप्लर ई0 टी0 पी0 से कटिंग बनाकर तैयार की जाती है। इस हेतु बड़े पैमाने पर पॉप्लर ई0 टी0 पी0 की आवश्यकता होगी

- किसान पौधशाला की स्थापना माह दिसम्बर–जनवरी में प्रारंभ की जायेगी

•इसके लिए हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश राज्यों आदि से पॉप्लर ई0 टी0 पी0 का क्रय किया जायेगा।

•जो किसान मुख्यमंत्री निजी पौधशाला लगाये हुए हैं, उनसे वनों के क्षेत्र पदाधिकारी ई0 टी0 पी0 की उपलब्धता की जानकारी ले कर वन प्रमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। तदोपरांत, इसकी उपलब्धता तथा मांग के अनुसार इसके वितरण का निर्णय वन प्रमंडल पदाधिकारी / मिशन निदेशक, हरियाली मिशन लेंगे।

पौधशाला हेतु आवश्यक सामग्री

- **किसान को पॉप्लर पौधशाला लगाने के लिए उनको उपचारित पॉप्लर कटिंग विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा**

- पौधशाला में किसानों को प्रति एकड़ बीस किलोग्राम यूरिया एवं दस किलोग्राम जिंक सल्फेट एवं कीटनाशक के रूप में थीमेंट 10 जी 0.5 किलोग्राम प्रति एकड़ व्यवहार करना आवश्यक है। इसकी व्यवस्था स्वंय किसानों द्वारा की जायेगी।

अनुश्रवण

•पौधशाला में तय तरीकों का पालन सुनिश्चित करने एवं निर्धारित गुणवत्ता वाले पौधे उगाने के लिए पौधशालाओं का समय–समय पर अनुश्रवण किया जायेगा

•पौधशाला रोपण के समय संबंधित प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता नर्सरी स्थल पर मौजूद रहेंगे।

•पौधशाला उगाने वाले लाभुक की तकनीकी मदद के लिए प्रसार कार्यकर्त्ता, तकनीकी पदाधिकारी समय–समय पर मौजूद रहेंगे।

•वरिष्ठ पदाधिकारी नियमित रूप से पौधशाला हेतु एक पौधशाला पंजी तैयार करायेंगे, जिसमें पौधशाला की संपूर्ण जानकारी एवं समय–समय पर किये जाने वाले कार्यकलापों की जानकारी दी जायेगी।

•पंजी में पौधशाला का नक्शा, निकटवर्त्ती सड़क को दर्शाते हुए देना आवश्यक होगा।

•अनुश्रवण में यह ध्यान रखना होगा कि नर्सरी की निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार सिंचाई, छँटाई एवं एकीकरण किसानों द्वारा की जाती रहे।

चयनित पौधशाला संचालकों के साथ अनुबंध

•यह अनिवार्य रहेगा कि लाभुक कृषक द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी/प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी के लिखित आदेश के बिना किसी व्यक्ति के साथ पौधशाला में उगाये गये पौधों की बिक्री/वितरण नहीं किया जायेगा।

किसानों को पौधों के संपूर्ण सुरक्षा का जिम्मा होगा।

- प्रथम पक्ष चोरी, बाढ़, सूखा, महामारी एवं अन्य किसी प्रकार से क्षति की भरपाई हेतु देनदार नहीं होगा।
- पौधशाला संचालकों के पास पौधशाला स्थापना के लिए जरूरी औजार उपलब्ध होने चाहिए।

पौधशालापति द्वारा अनुबंध शर्त्त का उल्लंघन किये जाने, किसी तरह की मिथ्या अथवा पौधशाला स्थापना एवं संचालन में लापरवाही बरतने की स्थिति में अन्य विविध उपायों के रहते हुए भी वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिशन के पदाधिकारी को यह अधिकार होगा एवं लाभुक कृषक पर यह बाध्यकारी होगा कि भविष्य में इस योजना के अंतर्गत किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के वे पात्र नहीं होंगे, तथा उनको भुगतान की गयी राशि की वसूली उनसे की जा सकेगी।

कृषकों को देय लाभ

	A	B	C	D
उत्तरजीविता	>60%	45-59%	30-44%	<30%
भुगतान राशि	15	14.50	14	13
प्रथम किश्त	10.25 x 20% =Rs. 2.05	10.25 x 20% =Rs. 2.05	10.25 x 20% =Rs. 2.05	10.25 x 20% =Rs. 2.05
द्वितीय किश्त	10.25 x 30% = Rs. 3.07	10.25 x 30% = Rs. 3.07	10.25 x 30% = Rs. 3.07	10.25 x 30% = Rs. 3.07
तृतीय किश्त	(उत्तजीविता x 15) - (प्रथम किश्त+द्वितीय किश्त)	(उत्तजीविता x 14.50) - (प्रथम किश्त+द्वितीय किश्त)	(उत्तजीविता x 14) - (प्रथम किश्त+द्वितीय किश्त)	(उत्तजीविता x 13) - (प्रथम किश्त+द्वितीय किश्त)

पौधशाला संचालकों को देय राशि का भुगतान 03 किस्तों में करने का प्रावधान किया जायेगा।

- उत्तरजीविता–मापदण्ड के अनुसार आपूर्ति की जायेगी।

किस्तें

❖**प्रथम किश्त :–** यदि किसी किसान के द्वारा 10000 पौधे लगाने के लिए 10000 ट्यूब भर दी है तो राशि का भुगतान निम्नवत् होगा :–

10000 x 2.05 = Rs. 20500 का भुगतान किया जाएगा।

❖**द्वितीय किश्त :–** द्वितीय किश्त के भुगतान के लिए उत्तरजीविता की गणना जून माह में किया जाएगा। यदि अब उसी किसान द्वारा लगाये गए पौधों में से कुल 8000 पौधे ही जीवित पाये जाते हैं तो राशि का भुगतान कॉलम–A से निम्नवत् होगा :–

8000 x 3.07 = Rs. 24560 का भुगतान किया जाएगा।

❖**तृतीय किश्त :–** तृतीय और अंतिम किश्त का भुगतान पौधों की उत्तरजीविता के आधार पर की जायेगी। यदि अब उसी किसान द्वारा लगाये गए पौधों में से कुल 5000 पौधे ही जीवित पाये जाते हैं तो राशि का भुगतान कॉलम–B के अनुसार इस प्रकार होगी :–

(5000 x 14.50) – (20500+24560) = 72500-45060 = Rs. 27440 का भुगतान किया जाएगा।

नोट **यदि प्रथम से द्वितीय किस्त के रूप में द्वितीय पक्ष को अतिरिक्त राशि का भुगतान हो गया होगा तो अंतिम किस्त की राशि भुगतान करते समय पूर्व में भुगतेय ऐसी राशि का समायोजन करने के पश्चात् ही अंतिम भुगतान किया जायेगा।**

पदाधिकारियों/अधिकारियों/कर्मियों का कर्त्तव्य एवं दायित्व

हरियाली मिशन मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, वनरंक्षी अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत इस योजना के लिए पूर्णरूपेण जिम्मेदार होंगे।

संबंधित पदाधिकारी इस योजना का प्लान एवं लक्ष्य के आधार पर ई0 टी0 पी0 प्राप्त करना, लाभुकों का चयन करना, ई0 टी0 पी0 कटिंग बनाने हेतु स्थल, सामग्री, मजदूर, कृषकों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय किस्त का भुगतान समय–सीमा के अंदर, टाईम लाईन के अनुरूप करवाना सुनिश्चित करेंगे।

वन संरक्षक

- कृषकों का चयन समय पर कराने हेतु चयन समिति की बैठक करवाना।

- पॉप्लर पौधशाला के लिए पॉप्लर कटिंग को समय रहते वन प्रमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध करवाना।

- पॉप्लर नर्सरी के रोपाई के पूर्व एवं पश्चात् निरीक्षण करना।

- विवाद को सुलझाना/मुख्यालय को सूचित करना।

वन प्रमंडल पदाधिकारी

•वन प्रमंडल अंतर्गत पॉप्लर कटिंग का प्रबंध करना एवं सुरक्षित वन क्षेत्र कार्यालय तक पहुंचवाना।

•आवेदन–फार्म का जमा करवाना एवं किसानों को चयन करने हेतु वन संरक्षक को सूची उपलब्ध कराना।

•प्रशिक्षण के लिए तिथि एवं परिसर का इंतजाम करवाना।

•प्रोत्साहन राशि का चेक क्षेत्र पदाधिकारी को उपलब्ध करवाना।

•वितरित चेक और अवितरित चेक का विवरण मुख्यालयों को उपलब्ध कराना।

•रैंडम चेकिंग करना।

लक्षित जिला

बिहार के सभी जिलें।

फ्लो चार्ट

वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के द्वारा आवेदन की प्राप्ति

लाभार्थी कृषकों की सूची तैयार करना

सूची के अनुसार जमीन का भौतिक सत्यापन

अंतिम सूची की तैयारी वन प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित करना

समिति द्वारा लाभुकों का चयन करना

वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सूची के आधार पर स्वीकृत्यादेश निर्गत करना

पॉप्लर ई0 टी0 पी0 कटिंग की आपूर्त्ति

फ्लो चार्ट

लगाये गये कटिंग का सत्यापन

रैंडम चेकिंग

सहायतानुदान राशि का चेक वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को उपलब्ध करना

वन प्रमंडल परिसर में शिविर लगाकर चेकों का वितरण

वन प्रमंडल परिसर में शिविर लगाकर चेकों का वितरण

प्री–ऑडिट चेक लिस्ट

•वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा लाभुकों की सत्यापित सूची तैयार करना।
स्वीकृत्यादेश की प्रति

कार्य निष्पादित क्षेत्र का फोटो शपथ–पत्र

व्यय विवरणी

स्वीकृत्यादेश में स्वीकृत रकवे के अनुरूप सत्यापन एल0 पी0 सी0/लीज कागजात/ किराया रसीद/राजस्व रसीद/शपथ पत्र–प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र।

राशि का भुगतान की प्रति

मुख्यमंत्री निजी पॉप्लर नर्सरी / पौधशाला की स्थापना

आवेदन

आवेदक का नाम

पिता / पति का नाम

पता

कार्यालय उपयोग हेतु
किसान विशिष्ट पहचान संख्या –
HAR/ ...../...../...../...../...../
योजना जिला प्रखंड क्र.सं. वर्ष

वन प्रमंडल का नाम

वन क्षेत्र का नाम

प्रखंड का नाम

जिला का नाम

पिन नं0

मोबाईल नं0

लिंग–पुरूष / महिला

कोटि– अनुसूचित जनजाति ☐ अनुसूचित जाति ☐ पिछड़ा वर्ग महिला ☐ अत्यंत पिछड़ा वर्ग ☐
पिछड़ा वर्ग ☐ विकलांग ☐ अल्पसंख्यक ☐ सामान्य ☐

पौधशाला स्थल की विवरणी :–

क्र0	जमीन मालिक का नाम / जमीन का पता	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा (एकड़ मे)

सिंचाई की सुविधा – राजकीय नहर ☐ नलकूप ☐ निजी पंपिंग सेट ☐ अन्य ☐

बैंक में पूंजी की स्थिति ☐

(प्रमाण के रूप में पासबुक की अद्यतन छायाप्रति संलग्न करें)

घोषणा

मैं एतद् घोषणा करता /करती हूँ कि इस आवेदन में ऊपर दी गयी सूचनाएं सत्य एवं सही हैं। पौधशाला आवंटित होने पर मैं पूरी मेहनत एवं लगन से पौधशाला स्थापित कर इनमें उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करूगाँ /करूँगी एवं मिशन/वन विभाग के सभी नियमों/निर्देशों का अनुपालन करूगाँ /करूँगी। ऊपर में दी गयी सभी जानकारी/कालान्तर में उक्त सूचना गलत सिद्ध होती है तो इसके लिए मैं जिम्मेवार होऊगाँ/होऊँगी और मैं मानता/मानती हूँ कि मेरे विरूद्ध वैधानिक/दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन एवं आवंटन को रद्द किया जा सकेगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभाग के सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ।

स्थान :– .....
दिनांक :– .....

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

नोट :– आवेदन–पत्र के साथ सभी प्रमाण–पत्रों/कागजातों की केवल छायाप्रति संलग्न करें :–
(1) एल0 पी0 सी0/प्रस्तावित जमीन का अद्यतन रसीद/ लीज पर लिया गया जमीन की छायाप्रति/राजस्व रसीद/शपथ पत्र–प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र।।
(2) पासबुक की अद्यतन छायाप्रति।

प्राप्ति रसीद

श्रीमान्/श्रीमती ..... पिता/पति का नाम .....

वन प्रमंडल का नाम ..... वन क्षेत्र का नाम ..... प्रखंड का नाम .....

जिला का नाम .....।

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजनांतर्गत **''पॉप्लर पौधशाला''** स्थापित करने हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त किया गया,

जिसकी आवेदन क्रमांक ..... है।

स्थान :– .....

दिनांक :– .....

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर पूरा नाम एवं पदनाम।

प्रपत्र.01 02

प्रमंडल का नाम :– ..... जिला का नाम :– .....

Ø	प्रखंड का नाम	वन क्षेत्र	पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम (टोला)	किसान का नाम एवं पिता का नाम	खेत का रकवा (एकड़ में)	खाता	खेसरा	स्टंप की संख्या	मोबाईल नं0	जाति	धर्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
''हरियाली मिशन''
प्रपत्र.01ध्03 ;2013.14द्ध

अनुबंध पत्र

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
वन क्षेत्र .....

सेवा में,

चयनित किसान का नाम :– .....
पता :– .....

विषय :– मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजनांतर्गत पॉप्लर पौधशाला लगाने हेतु अनुबंध पत्र।

दिनांक :–

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपका चयन हरियाली मिशन अंतर्गत पॉप्लर नर्सरी लगाने हेतु किया गया है। आपके द्वारा दिनांक ..... तक कुल जमीन ..... में कुल ..... . कटिंग लगाया जाना है।

अतः आपको दिनांक ..... तक वन प्रमंडल ..... के कार्यालय में सभी वांछित प्रमाण–पत्रों के साथ उपस्थित होकर अनुबंध करें।

पौधशाला स्थापित करने हेतु आवेदन के माध्यम से सहमति व्यक्त की गयी है अनुबंध की विवरणी इस अभिलेख की सूची के रूप में संलग्न है।

अतः यह अभिलेख साक्षी है और इस पर दोनों पक्ष (कृषक एवं हरियाली मिशन के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार) परस्पर अनुबंध करते हैं एवं सहमति व्यक्त करते हैं कि :–

1. प्रथम पक्ष (कृषक), द्वितीय पक्ष (हरियाली मिशन के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार) से अनुबंध के आधार पर पॉप्लर पौधशाला स्थापित करने हेतु सहमत है।
2. यह अनुबंध दिनांक– ..... से दिनांक– ..... तक (दोनों तिथियाँ सम्मिलित) की अवधि तक लागू रहेगा।

अनुबंध

3- पौधशाला की जमीन का रकबा ..... एकड़ एवं पौधशाला संचालकों को पॉप्लर पौधा तैयार करने हेतु निःशुल्क दिये गये पॉप्लर कटिंग की संख्या .... होगी।

4. द्वितीय पक्ष को यह बचनवद्धता (**Undertaking**) देनी होगी कि पौधशाला वाली जमीन पर उनका कब्जा है तथा अनुबंध अवधि तक उनका ही रहेगा।

5. पौधशालापति द्वारा उक्त पौधशाला में प्रथम पक्ष कंडिका–3 में अंकित संख्या में आपूर्त्तित पॉप्लर कटिंग से पॉप्लर पौधशाला मार्गनिर्देशिका, जो प्रथम पक्ष (वन प्रमंडल पदाधिकारी) द्वारा दी जायेगी, में अंकित विहित प्रक्रिया के अनुसार पौधें तैयार किया जायेगा। इस कार्य में होने वाले संपूर्ण व्यय का वहन द्वितीय पक्ष द्वारा ही किया जायेगा। पौधशाला में कटिंग के रोपण की दूरी 80ग50से0 मी0 रखना अनिवार्य होगा। प्रथम पक्ष द्वारा आपूर्त्तित कटिंग से अधिक संख्या में पौधे नहीं उगाये जायेंगे तथा उक्त पौधशाला में पॉप्लर के अलावे अन्य पौधें नहीं लगाये जायेंगे।

6. पौधशालापति उल्लिखित प्रजाति एवं संख्या में उगाये गये पौधों का लेखा–जोखा रखेंगे एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी ..... अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारियों/मिशन के पदाधिकारियों के द्वारा मांगे जाने पर उक्त लेखा–जोखा उनके समक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत करेगा तथा पौधशाला निरीक्षण में आवश्यक सहयोग करेगा।

7. संबंधित जमीन में स्थापित पॉप्लर पौधशाला में उगाये गये रोपण हेतु उत्तम गुणवत्ता (न्यूनतम 10 फीट उँचाई एवं 2.5 ईंच की कॉलर गोलाई) वाले पॉप्लर के स्वस्थ एवं जीवित पौधें (ई0 टी0 पी0) एक वर्ष पूरा होने पर किसानों के बीच निःशुल्क वितरित करने हेतु पौधशालापति से भुगतान के आधार पर प्रथम पक्ष द्वारा प्राप्त की जायेगी तथा इसे कृषि वानिकी योजनान्तर्गत किसानों की जमीन पर रोपण हेतु किसानों को उपलब्ध करायी जायेगी।

8- पौधशालापति को उनके द्वारा किये गये अनुबंध के अनुसार पौधशाला स्थापित करने, पौधों की सुरक्षा देखभाल करने एवं एक वर्ष के बाद उच्च गुणवत्ता के न्यूनतम 10 फीट लंबाई के पौधे वृक्षरोपण के लिए आपूर्त्ति करने के एवज में विभाग द्वारा निर्धारित राशि प्रति पूर्ण पौधा (ई0 टी0 पी0) की दर पर प्रथम पक्ष द्वारा भुगतान किया जायेगा। इस अनुबंध के तहत पॉप्लर पूर्ण पौधा (ई0 टी0 पी0) का बेस प्राईस रु0 10.25 प्रति पूर्ण पौधा (ई0 टी0 पी0) निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त पौधशाला के जमीन की क्षतिपूर्त्ति राशि एवं पर्यवेक्षण राशि भी अलग से दी जायेगी। उपर्युक्त दोनों भुगतान के अतिरिक्त पौधशालापति को अच्छी गुणवत्ता के पौधें तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पौधों की आपूर्त्ति प्रतिशत के आधार पर प्रोत्साहन राशि भुगतान का भी प्रावधान हैं। इस प्रकार उपर्युक्त सभी भुगतान मिलाकर वास्तविक आपूर्त्ति के आधार पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को रु0 13 से 15 के बीच प्रति पूर्ण पौधा (ई0 टी0 पी0) की दर पर कीमत भुगतान किया जायेगा।

09. यदि प्रथम से तृतीय किस्त के रूप में द्वितीय पक्ष को अतिरेक राशि का भुगतान हो गया होगा तो अंतिम किस्त की राशि भुगतान करते समय पूर्व में भुगतेय ऐसी राशि का समायोजन करने के पश्चात् ही अंतिम भुगतान किया जायेगा।

10. द्वितीय पक्ष को पौधों की संपूर्ण सुरक्षा का जिम्मा होगा, सतत सिंचाई के अतिरिक्त समय–समय पर साफ–सफाई, खर–पतवार हटाने, शाखाओं की छँटाई एवं एकीकरण की व्यवस्था निर्धारित संलग्न समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित करनी होगी। छँटाई एवं एकीकरण न होने पर पौधे नहीं लिये जायेंगे तथा भुगतान रोक दिया जायेगा। प्रथम पक्ष चोरी, चराई, बाढ़, सूखा महामारी एवं अन्य किसी प्रकार से हुए क्षति की भरपाई हेतु देनदार नहीं होगा।

11. पौधों में किसी तरह की बीमारी या कोई अन्य क्षति की तत्काल सूचना वन प्रमंडल पदाधिकारी/उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/मिशन के पदाधिकारी को द्वितीय पक्ष द्वारा दी जायेगी।

12. उपर्युक्त वित्तीय लाभ के अतिरिक्त द्वितीय पक्ष किसी अन्य वित्तीय लाभ का अधिकारी नहीं होगा।

13. द्वितीय पक्ष अपना बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम शाखा का नाम एवं पता वाले पासबुक के पृष्ठ की छायाप्रति प्रथम पक्ष के द्वारा कार्यालय में अनुबंध के साथ–साथ जमा करेंगे।

14. पौधशाला के पौधों का भौतिक सत्यापन प्रथम पक्ष के प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक भुगतान के पूर्व किया जायेगा एवं सत्यापन के समय प्रथम पक्ष के साथ–साथ द्वितीय पक्ष स्वयं या उनके वैध प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रपत्र पर दोनों अपना हस्ताक्षर करेंगे।

15. यह प्रतिबंध रहेगा कि पौधशालापति द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी/प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी के लिखित आदेश के बिना किसी व्यक्ति के साथ पौधशाला में उगाये गये पौधों की बिक्री/वितरण नहीं किया जायेगा।

16. पौधशालापति द्वारा इस अनुबंध के किसी भी शर्त्त का उल्लंघन किये जाने, उनके द्वारा किसी तरह की मिथ्या किये जाने अथवा पौधशाला स्थापना एवं संचालन में लापरवाही बरतने की स्थिति में अन्य विविध उपायों के रहते हुए भी वन प्रमंडल पदाधिकारी/मिशन के पदाधिकारी को यह अधिकार होगा एवं पौधशालापति पर यह बाध्यकारी होगा कि भविष्य में इस योजना के अंतर्गत किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के वे पात्र नहीं होंगे तथा उनको भुगतान की गयी राशि की वसूली उनसे की जायेगी।

17. अनुबंध में निहित शर्त्तों एवं कार्यकलापों के संबंध में किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारी का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा एवं उनका निर्णय अंतिम उपं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

उक्त अनुबंध के साक्ष्य में इस अभिलेख पर प्रथम पक्षकार वन प्रमंडल पदाधिकारी .... वन प्रमंडल तथा द्वितीय पक्षकार श्री ..... ग्राम ..... पंचायत .... प्रखंड ..... जिला ..... (पॉप्लर पौधशालापति) द्वारा हस्ताक्षर किया।

पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

पॉप्लर पौधशालापति

(द्वितीय पक्ष)

वन प्रमंडल पदाधिकारी

(प्रथम पक्ष)

साक्षी

नाम एवं पता सहित

नाम एवं पता सहित

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
''हरियाली मिशन''
आदेश

प्रपत्र.01ध्04 ;2013.14द्ध

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
वन प्रमंडल .....

सेवा में,

.....
.....

विषय :– **पौधशाला ससमय स्थापित न करने और शर्त्तो का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश रद्द करने के संबंध में।**

दिनांक :–

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपको पत्रांक–..... दिनांक – .... के द्वारा आपको सूचित किया गया था कि आप ससमय वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपना आवंटित नर्सरी हेतु कटिंग प्राप्त कर लें, पौधशाला ससमय स्थापित न करने और शर्त्तो का अनुपालन नहीं करने के कारण इस कार्यालय का निर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत्यादेश रद्द किया जाता है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी

..... वन प्रमंडल

प्रपत्र.01/05 (2013-14)
भुगतान हेतु आवेदन–पत्र एवं स्वीकृति–पत्र

कार्यालय उपयोग हेतु

किसान विशिष्ट पहचान संख्या –

HAR/ ----------/----------/----------/----------/----------/

योजना जिला

प्रखंड क्र0 सं0 वर्ष

वन प्रमंडल पदाधिकारी :– ..... वन प्रमंडल .....

किसान हेतु

महाशय,

मैं ..... पिता/पति ..... वन प्रमंडल ..... वन क्षेत्र ....जिला ..... मेरे द्वारा मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजनातंर्गत पॉप्लर के पौधों का पौधशाला स्थापित किया गया है। मेरे द्वारा आपके पौधशाला से कुल ..... स्टंप प्राप्त किये। जिसमें प्रथम किस्त हेतु .... पौधें स्वस्थ एवं उच्च गुणवत्ता युक्त निर्धारित मापदंड अनुसार पौधे तैयार हो चुके हैं। अतः मुझे प्रथम किस्त देने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

(किसान का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम या बायें हाथ के अंगूठे का निशानद्ध

.....

कार्यालय द्वारा जाँच–पत्र

उपर्युक्त दिये गये किसान द्वारा प्रथम किस्त भुगतान हेतु आवेदन–पत्र के आधार पर मेरे द्वारा नाम ..... पदनाम ..... जाँच किया गया, जाँच में इनकी पौधशाला में कुल ..... पौधें स्वस्थ्य एवं उच्च गुणवत्ता वाले निर्धारित मापदंड अनुसार पौधे पाये गये।

विश्वासभाजन
(जाँचकर्त्ता का हस्ताक्षर)
नाम –
पदनाम –
दिनांक –

वन प्रमंडल पदाधिकारी हेतु

उपर्युक्त जाँच में पाया गया की किसान द्वारा स्थापित किये गये पौधशाला में स्वस्थ्य एवं उच्च गुणवत्ता वाले .... पौधें पाये गये जो ..... रुपये प्रति पौधें की दर से कुल ..... रुपये का भुगतान ड्राफ्ट नं0– ..... दिनांक – ..... को निर्गत किया जा रहा है।

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर :–
या अंगूठे का निशान
जिला – .....

वन प्रमंडल पदाधिकारी
प्रमंडल – .....

टाईम लाईन (पॉप्लर पौधशाला)

क्र॰	कार्य	अनुपालन कर्त्ता	अवधि	2013					2014		
				August	September	October	November	December	January	February	March
1	पत्र के माध्यम से पदाधिकारीयों के योजना की जानकारी एवं प्रशिक्षण	मुख्यालय, हरियाली मिशन	20 दिन								
2	पॉप्लर पौधशाला हेतु प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन	मुख्यालय, हरियाली मिशन	25 दिन								
3	पॉप्लर पौधशाला हेतु आवेदन–पत्रों की प्राप्ति	वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी या वन क्षेत्र कार्यालय	15 दिन								
4	आवेदन–पत्रों की जाँच	वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी या वन क्षेत्र कार्यालय	15 दिन								
5	भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र एवं बाकी शर्तों की जाँच	वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी के द्वारा।	15 दिन								
6	चयनित किसानों/लाभुकों का प्रशिक्षण	वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी या वन क्षेत्र कार्यालय	15 दिन								
7	ई०टी०पी० की आपुर्ति एवं खेतों को नर्सरी के लिए तैयार करना।	मुख्यालय, हरियाली मिशन/लाभुकों और कृषकों द्वारा आवश्यक रूप से खेतों को तैयार करना।	20 दिन								
8	**ई०टी०पी० की कटिंग/वितरण एवं स्टाम्प की रोपाई**	**वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी या वन क्षेत्र कार्यालय**	**45 दिन**								
9	स्वीकृत्यादेश के आलोक में पौधों का सत्यापन	वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी।	15 दिन								
10	प्री–ऑडिट चेकलिस्ट के आलोक में ज्यादा–से–ज्यादा लाभुकों का रंडम चेकिंग किया जायेगा।	पी०पी०एम०यू० टीम के द्वारा रेंडम चेकिंग।	18 दिन								
11	लाभुकों/कृषकों को किस्त देने के लिए सूची तैयार करना।	वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी।	5 दिन								
12	वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को चेक उपलब्ध कराना।	वन प्रमंडल पदाधिकारी से अनुमोदित कृषकों को प्रथम किस्त 20 प्रतिशत की राशि का चेक वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।	10 दिन								
13	प्रथम किस्त 20 प्रतिशत का वितरण	क्षेत्र कार्यालय परिसर में कैम्प लगाकर किसानों को सहायतानुदान की राशी का चेक बाँटना।	11 दिन								

Thanks for

kind Attention